राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 624, 625 एवं 626/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान– मैसर्स मधानी पशु आहार उद्योग, शाहपुरा, जयपुर 1. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापंवचन, जोन–प्रथम, जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2014	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री अमर सिंह,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यें अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक् आदेश दिनांक 15.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "**निर्धारण अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55, 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये पारित पृथक–पृथक निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2014 में कर, शास्ति एवं ब्याज मांग राशि रूपये क्रमशः 16,86,544/–, 45,41,648/– एवं 3,31,754/– की अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध मांग कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, राशि क्रमशः रूपये 16,61,372/–, 44,71,344/– एवं 3,26,425/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा बकाया वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आंशिक स्टे क्रमशः रूपये 11,83,098/–, 31,35,565/– एवं 2,25,084/– दिया। शेष मांग रूपये 4,78,274/–, 13,35,779/– एवं 1,01,341 /– पर स्टे अमान्य किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील मय वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के. बैद बहस हेतु उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किये जा रहे हैं । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एस.के.जैन ने कथन किया कि व्यवहारी पशु आहार का निर्माता व विक्रेता है। उसके द्वारा कपासिया, खल, गुड़ आदि कच्चे माल से पशु आहार का निर्माण किया जाकर विक्रय किया है जो कि कर मुक्त है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक दिन के सर्वेक्षण पर फैक्ट्री बन्द पाये जाने के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई निर्माण कार्य न कर व्यवहारी द्वारा कपासिया As it is बेचा गया है जिसके कारण कर शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया है। श्री जैन के अनुसार बिना बिजली कनेक्शन के डीजल जनरेटर सेट से उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जाकर पशु आहार विक्रय किया है बिक्री को गलत लगातार.....2	

05.05.2014

साबित नहीं किया गया है। अतः आरोपित मांग को पूर्ण स्टे करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद द्वारा अपने तर्क में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर तथ्यों के आधार पर मांग आरोपित की गयी है। उनके अनुसार व्यवहारी द्वारा कपासिया राज्य के बाहर से आयात कर As it is बेचा गया है, जांच पर बिजली का कनेक्शन नहीं पाया गया। जनरेटर सेट बोरियों के नीचे दबा पाया गया। कोई मजदूरी का रजिस्टर या निर्माण होता नहीं पाया गया। आसपास के लोगो से बयान लेने पर भी निर्माण नहीं होना प्रमाणित हुआ। ऐसी स्थिति में कायम मांग उचित बतायी, साथ ही अधिकतर मांग अपीलीय अधिकारी द्वारा स्टे की जा चुकी है और स्टे नहीं दिया जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिकतर मांग अपीलीय अधिकारी द्वारा स्टे की जा चुकी है। अतः गुणावगुण को प्रमाणितं किये बिना, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः चाहा गया स्टे अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

5-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य

5.5.2014

(मदन लाल)
सदस्य